महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

वित्त समिति की 45वीं बैठक दिनांक 11.02.2025 के कायवृत्त

माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में मंगलवार दिनांक 11.02.2025 को मध्यान्ह् 1:00 बजे कुलपति कक्ष में आयोजित वित्त समिति की 45वीं बैठक मे निम्मनानुसार उपस्थिति रही ।

01. प्रो0 कैलाश चन्द सोडानी, कुलपति — अध्यक्ष
02. प्रो. शिवदयाल सिंह
    (प्रबंध बोर्ड के नामित सदस्य) — सदस्य
03. श्री भागीरथ सिंह लखावत, कोषाधिकारी, अजमेर — सदस्य
    प्रतिनिधि संभागीय आयुक्त, अजमेर
    (वित्त विभाग राज. सरकार के मनोनीत प्रतिनिधि) — सदस्य
04. नेहा शर्मा, वित्त नियन्त्रक — सदस्य सचिव

(शासन सचिव, उच्च शिक्षा की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो सके।)

माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष महोदय के निर्देशोपरान्त बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गई, जिसमें मदवार निर्णय निम्नानुसार लिए गये।

मद संख्या	मद का विवरण	निर्णय
1.	वित्त समिति की 44वी बैठक दिनांक 24.07.24 के कार्यवृत्त की पुष्टि करना (परिशिष्ट –1)	उक्त कार्यवृत्त की मद संख्या–2 के अन्तर्गत परिपत्र क्रमांक प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 जयपुर दिनांक 07.08.2023 में अंकित शर्तों की पूर्णतः पालना करने का निर्णय लिया गया, तदुपरान्त शेष कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
2.	Budget Estimates 2025-26 & Revised Estimates 2024-25 के बजट अनुमानों (स्ववित पोषित पाठ्यक्रमों सहित) का परीक्षण एवं अनुशंसा करना। (परिशिष्ट –2)	वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अनुमानों एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 के संशोधित अनुमानों का अनुमोदन कर आगामी प्रबंध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किये जाने की अनुशंसा की गई।
3.	वित्तीय वर्ष 2018–19 सनदी लेखाकार ऑडिट रिपोर्ट परीक्षण एवं अनुशंसा करना। (परिशिष्ट –3)	वित्तीय वर्ष 2018–19 सनदी लेखाकार ऑडिट रिपोर्ट को आगामी प्रबंध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किये जाने की अनुशंसा की गई।
4.	विश्वविद्यालय की गतिविधियों अन्तर्गत राशि रू0 10 लाख या अधिक राशि के भुगतान अन्तर्गत चैकों पर वित्त नियन्त्रक / वरिष्ठ लेखाधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्यत होने तथा राशि रू0 10 लाख से कम राशि के चैकों पर एवं समस्त बिल बाउचरर्स के Pay Orders पर वित्त व लेखा अनुभाग के सहायक कुलसचिव/अनुभागाधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी / सहायक लेखाधिकारी के दौहरे हस्ताक्षरों द्वारा ही भुगतान सुनिश्चित करना । (परिशिष्ट –4)	मद संख्या 4 को लागू करने की अनुशंसा की गई।
5.	विश्वविद्यालय द्वारा प्रचलित निवेश नीति के अन्तर्गत बैंको की निर्धारित प्रतिबन्धित सीमा 100 करोड़ में विश्वविद्यालय हित में शिथिलता प्रदान करने पर विचार करना। (परिशिष्ट –5)	राष्ट्रीयकृत बैंक (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक) में निवेश की ब्याज दर अन्य बैंकों से समकक्ष या अधिक होने पर 100 करोड़ की सीमा में शिथिलता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।

समिति की बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद् ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई ।

11/2

प्रो0 कैलाश चन्द सोडानी
(कुलपति एवं अध्यक्ष)

11.2.25

प्रो0 शिवदयाल सिंह
(प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नामित सदस्य)

11.2.25

श्री भागीरथ सिंह लखावत
(प्रतिनिधि संभागीय आयुक्त, अजमेर)

नेहा 11/2/25

नेहा शर्मा
(वित्त नियन्त्रक एवं सदस्य सचिव)

Scanned with CamScanner